राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28( )पराविं / प्रशा.2 / पंचा.प्र.अ.–बानसूर / अनु.कार्य. / 2015 / 5153 जयपुर,दिनांकः 30/12/15

:: **आदेश** ::

यतः श्री रामसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर (अलवर) के विरूद्ध एक अनुशासनिक जाँच कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर (अलवर) को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कियां जाता है। निलम्बन काल में श्री रामसिंह का मुख्यालय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर में रहेगा।

श्री रामसिंह को निलम्बन अवधि में राजस्थान सेवा नियमो के नियम 53(1) के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में श्री रामसिंह को उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हे यह भी निर्देश देवें कि वे बिना सक्षम स्वीकृति के अपना मुख्यालय नहीं छोडे।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर को प्रकरण के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.) पंचायती राज विभाग से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एवं अन्य पत्रादि की प्रतियॉ संलग्न कर भिजवाते हुए लेख है कि श्री रामसिंह के विरूद्ध 16 सीसीए के तहत कार्यवाही हेतु कार्मिक (क–3 / निरीक्षण) विभाग के परिपत्र कमांक प.9(3)कार्मिक / क–3 / नि / 98 दिनांक 23.05.2002 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(3)कार्मिक / क–3 / नि / 98 दिनांक 18.01.2003 (प्रति संलग्न है) के अनुरूप आरोप पत्र, आरोप विवरण एवं परिशिष्ट अ, ब, स, द व आरोपो को सिद्ध करने वाला सुसंगत प्रमाणित अभिलेख भिजवायें एवं अन्य दोषियों के विरूद्ध 16 सीसीए के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर, जिला अलवर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री रामसिंह को तत्काल उक्त आदेश तामील करवाकर पंचायती राज विभाग, जयपुर हेतु कार्यमुक्त करते हुए पालना रिपोर्ट एवं उक्त निलम्बन आदेश का श्री सिंह की सेवापुस्तिका में इन्द्राज कर प्रमाणित प्रति भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. श्री रामसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बानसूर (अलवर) को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें एवं बिना सक्षम पूर्वानुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़े।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त